

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (एफ-1587) /2024/113

दिनांक : 14/03/2024

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत निम्नांकित कार्मिकों को निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/ईसीजी टैक्नीशियन/सीधी भर्ती 2020/एफ-1683/2021/640 दिनांक 25.08.2021 , 904 दिनांक 20.12.2021 के द्वारा ईसीजी टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इनके द्वारा ईसीजी टैक्नीशियन पद पर दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि (Probation Period) इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद बताये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थाईकरण करते हुये इन्हें परीवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में ईसीजी टैक्नीशियन पद की पे मैट्रिक्स एल-8 में न्यूनतम वेतन रूपये 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात परीवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	रोहित सैनी ईसीजी टैक्नीशियन	सीएचसी गोविन्दगढ, जयपुर।	04.08.1999	03.09.2021	02.09.2023	03.09.2023
2	ऋषिराज गहलोत ईसीजी टैक्नीशियन	एस डी एम राज0 जिला चिकित्सालय, बीकानेर।	26.07.1999	27.08.2021	26.08.2023	27.08.2023
3	बाबुलाल हरितवाल ईसीजी टैक्नीशियन	सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।	01.07.1995	25.10.2021	24.10.2023	25.10.2023

RajKaj Ref
5983428

4	दिव्या कवर ईसीजी टैक्नीशियन	राज0 बीडीएम जिला चिकित्सालय कोटपुतली।	29.10.1999	22.12.2021	21.12.2023	22.12.2023
---	-----------------------------------	---	------------	------------	------------	------------

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर

दिनांक : 14/03/2024

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (एफ-1587)/2024/113

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर

RajKaj Ref
5983428

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :14-03-2024 01:06:28